

भारतीय रेल
डीजल रेल इंजन कारखाना
वाराणसी

प.सं. जीएम/एडमिन/01/046.पार्ट-1

कार्यालय - म.प्र./प्रशासन
दिनांक - 12.01.2017

शुद्धि पर्ची सं.-02/17

विषय - शक्तियों की अनुसूची के अध्याय-IV के पैरा सं.-4.06 में संशोधन/परिवर्धन ।

.....

संदर्भित शक्तियों की अनुसूची के अध्याय-IV के पैरा सं.-4.06 में निम्नलिखित परिवर्धन / संशोधन किया जाता है :-

मद सं.	कार्य की प्रकृति	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा				अभ्युक्तियां
			वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	वरिष्ठ वेतनमान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप 'बी'	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.06	प्रत्येक समारोह के अवसर पर होने वाले खर्च को पूरा करना ।	रेलवे बोर्ड का दि.14.09.2016 के पत्र सं. एफ (एक्स)11-2016/पीडब्ल्यू/3की मद सं.29 (ए) (म.प्र. की शक्तियों का प्रत्यायोजन)	प्रत्येक अवसर पर संबंधित विभाग के पी एच ओ डी/ सी एच ओ डी रु.50,000/- तक एवं संबंधित विभाग के व.प्र.श्रेणी के अधिकारी द्वारा रु.25000/- तक की शक्ति	मुख्य जनसंपर्क अधि./उपमप्र को प्रत्येक अवसर के लिए रु.25,000/- तक की शक्ति	शून्य	शून्य	i) प्रत्येक मामले में पूर्व वित्तीय सहमति आवश्यक है। ii) इस औपबंधन से अर्धसरकारी संगठनों जैसे संगीत विद्यालय, संस्था, क्लब इत्यादि को अलग रखा जाएगा । iii) इनमें निम्नलिखित समारोह शामिल होंगे - क) राष्ट्रीय अवकाश पर समारोह ख) रेल सप्ताह समारोह ग) पुष्प प्रदर्शनी/उद्घाटन/समापन इत्यादि घ) टीटीसी का स्थापना दिवस ङ) सांस्कृतिक आयोजन (डीरेका अथवा डीरेका से बाहर अन्तर्लवे प्रतियोगिता इत्यादि) च) नागरिक सुरक्षा/एसजेएबी/स्काउट एंड गाइड का वार्षिक दिवस छ) कोई अन्य समारोह

मद सं.	कार्य की प्रकृति	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा				अभ्युक्तियां
			वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	वरिष्ठ वेतनमान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप 'बी'	
1	2	3	4	5	6	7	8
							ज) महाप्रबंधक की खर्च सीमा प्रत्येक समारोह के अवसर पर निम्नलिखित होगी :- i) राष्ट्रपति / प्रधान मंत्री के भाग लेने वाले कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक मामले में रु.15 लाख तक । ii) रेल मंत्री / रेल राज्य मंत्री द्वारा भाग लेने वाले कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक मामले में रु. 10 लाख तक । iii) प्रत्येक समारोह के अवसर पर प्रत्येक मामले में रु.2 लाख तक । iv) वार्षिक अधिकतम सीमा रु.25 लाख तक ।

इसे विसमूलेधि की वित्तीय सहमति तथा महाप्रबंधक/डीरेका के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(एम. के. गुप्ता)

उपमहाप्रबंधक एवं सचिव/महाप्रबंधक
कृते महाप्रबंधक

प्रतिलिपि - सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु -

1. सभी विभागाध्यक्ष एवं वरि.प्रशा. श्रेणी के अधिकारी
 2. सभी कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारी
 3. सभी वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी
 4. सभी कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी/सहायक अधिकारी
- डीरेका, वाराणसी

(एम. के. गुप्ता)

उपमहाप्रबंधक एवं सचिव/महाप्रबंधक
कृते महाप्रबंधक